अरबों रुपयों की जमीन को हड़पने में भूमाफियाओं को प्रशासन का सहयोग है?

100 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने पहले तो जे.सी.बी. भेजी, बाद में एस.डी.एम. ने कार्रवाई को रोका

तारानगर, (निसं)। तारानगर के वार्ड नं. 29 में पड़ी सैंकड़ों बीघा सरकारी जमीन को लेकर मामला गर्म है। लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं ने नगर पालिका व तहसील के कर्मचारी व अधिकारीयों से सांठगाठ कर कूटरचित दस्तवेज तैयार कर वार्ड नं. 29 की सरकारी जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए सैंकड़ों हरे पेड़ो को नष्ट कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार भू-माफियाओं ने दो जेसीबी मशीन लगाकर पिछले पांच दिनों से सरकारी भूमी खसरा नं. 933/306, 934/306 पर वन विभाग द्वारा लगाये गये बड़े-बड़े हरे पेड़ों को काटकर समतलीकरण किया जा रहा था। जब उनसे पूछा गया तो बताया गया कि उक्त भूमी सरकारी नहीं होकर रामपूरा बेरी के पूरणाराम ब्राहमण की है जो अपनी जमीन का समतलीकरण करवा रहा है, जबकि आम जनता का कहना है कि उक्त भूमी सरकारी है जबसे खातेदारी का अधिकार मिला है तब से सन् 2012 तक टिब्बा धोरा के नाम से सरकारी जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी सन् 2012 से लेकर आज तक सिवाय चक नगर पालिका तारानगर के नाम से सरकारी पत्रावली में दर्ज है व नगर पालिका तारानगर ही मालिक है, उक्त भूमि में से कुछ भूमी हरीजन समाज के मोक्षभूमि के लिये आवंटित हुई।

कुछ भूमि पर नये भवन भी बने हुए है व कुछ भूमि एक निजी आई टी आई कॉलेज को भी सरकार ने आवंटित की है। उक्त भूमि में से हीं से बहुत से लोगों को नगर पालिका ने पट्टा बना कर दिया तो वहीं सरकार ने वहां पर जलदाय विभाग के लिये टंकी के लिये जमीन उपलब्ध करवाई तो वहीं कई तरह के सरकारी प्रोजेक्ट की पत्रावलीयां भी चल रही है। उक्त जेसीबी मशीन द्वारा काटे जा रहे हरे पेड़ो को देखकर आम जनता ने इसका विरोध किया और उपखण्ड अधिकारी सहित जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज करवाई तो मौके पर पहूंचे उपखण्ड अधिकारी सुभाष भड़िया ने उक्त जेसीबी का काम रूकवाया तो वहीं मौके पर उक्त जमीन पूरणाराम ब्राहमण के नाम से लगा बोर्ड भी जब्त करवाया। वहीं प्रशासन ने मौके से जेसीबी सहित अतिक्रमियों को खदेड़ दिया। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि उक्त सैंकड़ों बीघा कीमती सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना मालिकाना हक कैसे जताया। इसी बात को लेकर वार्ड नं. 29 में सर्वसमाज के लोगो ने बैठक बुलाकर एक संघर्ष समिति बनाई और तहसील कार्यालय के आगे धरना शुरू कर आला अधिकारियों के नाम से एक ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी को तहसील कार्यालय के आगे सौंपा।

उपखण्ड अधिकारी सुभाष भड़िया को धरना स्थल पर तारानगर वासियों ने ज्ञापन दिया।

इस तरह से भूमाफियाओं ने रची साजिश:- भूमाफियाओं ने खाली पड़ी सरकारी जमीन पर पूरणाराम के नाम से तारानगर सिविल न्यायालय में एक वाद अपने ही व्यक्तियों सहित नगर पालिका के खिलाफ दायर कर स्टे ऑर्डर प्राप्त कर उक्त सरकारी भूमि पर जेसीबी मशीन से हरे पेड़ काटकर समतलीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। भूमाफियाओं ने उक्त भूमि पर अपना हक व अधिकार जताने के लिये एक कूटरचित वसीयत का भी तहसील कार्यालय में पंजियन करवा लिया। उक्त समस्त प्रकरण में सामने आया कि जब पूरणमल ब्राहमण ग्राम रामपूरा बेरी जब एक माह का था तब उसके दादा बद्री प्रसाद पुत्र मगनाराम को तारानगर के गणेशमल व चौथराम पुत्रगण बीजाराम माली ने तारानगर उस समय की रिणी बुलाकर अपनी 1200 बीघा जमीन में से 200 बीघा जमीन एक महिने के बच्चे जिसका नाम पूरणमल ब्राहमण के नाम 9 सितम्बर 1951 को वसीयत कर दी, जबकि उक्त जमीन बीजाराम माली को रिणी निजामत के हवलदार द्वारा सम्वत 1902 मिती आषाढ सुदी 2 बख्शीस में मिली हुई थी।

- **तारानगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी अरूण स्वामी ने इस मामले के संबंध में बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। आरोप सही नहीं है।**
- **लोगों का कहना है कि पालिका व तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों से सांठगांठ कर भूमाफिया ने हरे पेड़ों को नष्ट किया है**

अब पूरणमल ब्राहमण को याद आया कि मेरी एक जमीन तारानगर में है जिस पर अपना हक व अधिकार जमाने की कोशिश की गई। जब लोगों ने इस तरह के बख्सीसनामा के बारे जानने का प्रयास किया तो बताया कि इस तरह के राजा महाराजा के समय कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। लोगों का कहना कि उक्त बख्शीस नामा फर्जी व कूटरचित है।

तहसील कार्यालय के आगे हुए धरना प्रदर्शन में लोगों का कहना है कि उक्त जमीन के मामले में कई अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है जिस वजह से इतनी पूरानी वसीयत का तहसील कार्यालय में शीघ्रता से पंजियन होना, नगर पालिका द्वारा पूरणाराम की जमीन को स्वीकार करना इस ओर दर्शाता है कि इस अरबों रूपये की कीमती जमीन को हड़पने में नगर पालिका, तहसील कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों सहित कई जनप्रतिनिधियों का सहयोग है व कई जगह बन्दरबाट हुई है। लोगों ने वसीयत व बख्शीसनामे को फर्जी होना भी बताया।

धरना प्रदर्शन के समय एडवोकेट निर्मल प्रजापत, एडवोकेट जितेन्द्र सिंह, राकेश जांगिड़, महावीर पूनियां, उमराव सिंह, भगवती प्रसाद शर्मा, पार्षद शिवकुमार सहित सैंकड़ो की संख्या में लोग धरने पर उपस्थित थे।

तारानगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी अरूण स्वामी ने इस मामले के संबंध में बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। आरोप सही नहीं है। नगर पालिका के कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे है। उक्त भूमि नगर पालिका तारानगर की भूमि है। जिसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।

कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकराई, दो यात्रियों की मौत, तीन घायल

बांदनवाड़ा में हुए हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

बांदनवाड़ा, (निसं)। कस्बे से होकर गुजरते नेशनल हाइवे की पुलिया के बीचो-बीच सोमवार दोपहर नसीराबाद से भीलवाड़ा की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई। वहीं 3 घायल हो गये। जहां जमा भीड़ की मदद से खासी मशक्कत कर शव तथा घायलों को बाहर निकाला गया। भीषण टक्कर से कार का अगला हिस्सा बूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया जहां मौके पर पहुंचे अन्य युवकों की सहायता से घायलों तथा मृतकों को खासी मशक्कत कर कार से बाहर निकलवाया।

मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से यातायात सुचारू करवाया। चौकी प्रभारी गिरधरसिंह ने बताया कि चौकी प्रभारी गिरधरसिंह ने बताया कि पांच दोस्त कार में सवार होकर खाटूश्याम के दर्शन कर अपने गांव जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 बांदनवाड़ा पुलिया पर तेज रफ्तार कार ट्रेलर के पीछे घुस गई जिससे कार में सवार रमेश (24) पुत्र शंकर गाडरी निवासी कानाखेड़ा (भोपालसागर चित्तौड़) व जमनेश (35) पुत्र मदन कलाल निवासी पोहुना (राशमी चित्तौड़) की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य दिनेश, हीरालाल व किशनलाल कीर घायल हो गए। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए तथा घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भिनाय थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरु कर दी है।

डोडा-चूरा से भरी कार व पिस्टल जब्त

उदयपुर, (निसं)। जिले के खैरोदा थाना पुलिस ने अवैध डोडा-चूरा से भरी कार को नाकाबंदी तोड़ लेकर भाग रहे तस्करों को रोकने पर तस्करों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस दौरान पकड़े जाने के भय से बदमाश कार छोड़ भागे। पुलिस ने कार से अवैध डोडा-चूरा व एक पिस्टल बरामद की।

जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, पुलिस उप अधीक्षक रविन्द्र प्रतापसिंह के सुपरविजन में खैरोदा थानाधिकारी पवनसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने रविवार रात में भटेवर वासुदेव होटल के सामने पहुंच कर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान मंगलवाड की तरफ से आरही कार का चालक पुलिस को देख कार मोड कर गलत दिशा की तरफ लेकर भागा।

इसको देख पुलिस दल ने पिछा कर रोकने का प्रयास किया। लेकिन चालक द्वारा कार भगा ले जाने पर फायिंरग की। इस पर पुलिस दल ने जवाबी फायरिंग की तो तस्कर अंधेरे में मारवेल होटल के पास मेनार माल में रोड़ पर लावारिस हालत में कार छोड़ कर फरार हो गए। इस पर पुलिस दल ने मौके पर पहुंच कर तलाशी ली तो कार में रखे 19 कट्टों में करीब 395 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा पाया गया तथा एक पिस्टल मिली। पुलिस ने कार व डोडा चूरा तथा पिस्टल जब्त कर प्रकरण दर्ज कर जांच कानोड़ थानाधिकारी मनीष कुमार खोईवाल को सौंपी।

50 लाख रुपये की पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार

मनोहरपुर, (निसं)। मनोहरपुर थाना पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली-जयपुर के नवलपुरा मोड पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित अवैध शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को जब्त कर उससे अवैध शराब के 450 कार्टन बरामद किए हैं। शराब परिवहन के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की बाजार कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है।

जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार ने बताया कि पुलिस को सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली से जयपुर की ओर आने वाली सडक पर कोटपूतली की तरफ से एक ट्रक आ रहा है। जिसमें अवैध पंजाब निर्मित शराब भरी होने की सम्भावना है। सूचना के बाद में थानाधिकारी मनीष शर्मा, एएसआई बलवान, रमेश चंद, दिलीप कुमार सहित कुल 11 सदस्यीय टीम ने दिल्ली से जयपुर जाने वाली रोड पर नवलपुरा मोड पर दिल्ली की तरफ से आने वाले सभी वाहनों की जांच की। इसी दौरान सूचना के अनुसार बताए ट्रक की जांच कि तो पुलिस भी चकरा गई। ट्रक में सफेद कली के कट्टे भरे हुए थे। मुखबिर की पुख्ता सूचना होने से पुलिस ने ट्रक कि गहनता से तलाशी ली।

पुलिस ने मामला दर्ज करके सारला थाना बाखासर जिला बाडमेर निवासी हेमाराम (23) पुत्र रेखाराम जाट व राम उर्फ रामाराम (33) पुत्र भीखाराम जाट को गिरफ्तार किया है।

बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। कल्याणपुर थाना पुलिस ने मोबाईल व नकदी लूट के मामले में फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीड़ित राहुल पुत्र जितेन्द्र निवासी बरना कल्याणपुर ने 5 मार्च 2023 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि गत सांय मेरे साथ बरना सोमनदी पुल पर लूट की वारदात हुई। इस दौरान लुटेरे मेरा मोबाईल व 12 हजार रूपये नकदी लूट ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर सोम नदी पुलिया पर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए इस मामले में फरार पांच हजार के इनामी बदमाश लोकेश पुत्र अमृतलाल निवासी करनुवा खेरवड़ा को गिरफ्तार किया।

17 टन एल.पी.जी. से भरा टैंकर पलटा

सूरतगढ़, (निसं)। एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर सोमवार सुबह पलट गया। हादसे में वॉल्व खुलने से गैस रिसाव होने लगा। मौके से गुजर रहे लोगों की सूचना पर तुरंत बिजली और मोबाइल फोन बंद करवाए गए। पुलिस और दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर आकर हालात को संभाला। हादसा श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का है। सिटी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि हादसा हनुमानगढ़ फोरलेन बाइपास पर सैनी गार्डन के पास हुआ। गुजरात पोर्ट से पंजाब के बठिंडा गैस प्लांट में एलपीजी से भरा एक टैंकर सूरतगढ़ होकर जा रहा था। इस दौरान सैनी गार्डन के पास मोड पर टैंकर बैलेंस बिगड़ने पर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। टैंकर का वाल्व लीक होने के कारण गैस का रिसाव शुरू हो गया। ड्राइवर चरण सिंह ने अपने स्तर पर कपड़ा लगाकर रिसाव को रोकने की कोशिश की। मगर रिसाव होने पर वह भाग गया। हादसे के बाद बाइपास पर जाम लग गया। पुलिस ने वाहनों को डायवर्ट कर निकाला। सूरतगढ़ समेत थर्मल की 4 दमकल गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया। ट्रक मालिक पंजाब निवासी जगदीप सिंह पुत्र साधू सिंह को भी हादसे की सूचना दी गई है।

- **वाल्व खुलने से हुआ लीकेज, बिजली और मोबाइल फोन बंद करवाये, ड्राइवर भागा**

गैस लीकेज रोकने के लिए बठिंडा प्लांट से टेक्निकल टीम पहुंची। टेक्निकल टीम ने सुरक्षा उपायों के साथ गैस टैंकर की लीक हो रही एलपीजी को रोकने के प्रयास शुरू किए। टेक्निकल टीम के मुताबिक इस घटना का अच्छा पहलू यह रहा कि ट्रक चालक ने फरार होने से पहले कपड़े से लीकेज हो रही एलपीजी को रोकने का प्रयास किया था। जिसका नतीजा यह रहा कि सुराख के स्थान पर कपड़ा फंस गया और उसके इर्द-गिर्द गैस जम गई। अन्यथा 17 टन के करीब टैंकर में भरी गैस के परिणाम कुछ भी हो सकते थे।

दूसरी ओर पूरी तरह गैस रोकने के हरसंभव उपाय करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलने पर आखिरकार सदियों से चले आ रहे देसी उपाय 'लकड़ी की गुल्ली' बनवाकर चूने, कपड़े और गुड़ के मिश्रण के साथ लीकेज सुराख में ठोकनी पड़ी। तब कहीं जाकर पूरी तरह गैस की लीकेज रुक पाई। मौके पर पहुंचे पंजाब निवासी टैंकर मालिक ने तीन हाइड्रा क्रेनों को हायर करते हुए सावधानीपूर्वक टैंकर को सीधा करवाया। इसके बाद एहतियात के साथ टैंकर को सड़क के एक किनारे जैक की सहायता से सही स्थिति में खड़ा किया गया। तब कहीं जाकर फोरलेन सड़क मार्ग के एक तरफ का यातायात बहाल हो सका। फिलहाल सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की गई इस कार्रवाई में कुछ राहत मिलने पर मौके से तीन दमकलों को हटवा दिया गया। वहीं टैंकर के रवाना नहीं होने तक एक फायर टेंडर को स्टैंडबाई मोड पर रखा गया है।

मांडलगढ़ के अभयपुरा गांव में खदान से सटी वन भूमि के ऊँचे पहाड़ में किया जा रहा सोपस्टोन का अवैध खनन

खनन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने से श्रमिकों की जान को खतरा

मांडलगढ़, (निसं)। अभयपुरा में सोपस्टोन की खदान से सटी वन भूमि के ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों में अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है।इस दौरान खदान में हेवी ब्लास्टिंग करने से पत्थर उछल कर लोगों के घरों में आ जाते हैं, वहीं अंधाधुंध अवैध खनन से हरे वृक्षों को उखाड़ा गया है। जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।

मांडलगढ़-जहाजपुर सीमा पर स्थित अभयपुरा गाँव के पास:- मैसर्स कुलदीप सिंह जुनेजा की सोपस्टोन की माइंस एमएल नंबर 85/82 वर्ष 1982-83 से संचालित है। खदान से सटे ऊँचे पहाड़ की वन भूमि में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि भीलवाड़ा के खनिज विभाग और वन विभाग को कई बार शिकायत की गई। लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि खदान में सुरक्षा मानकों के नियम कायदे ताक में रख कर खनन किया जा रहा हैं। खदान संचालक द्वारा हेवी विस्फोटक सामग्री से ब्लास्टिंग की जाती हैं। जिससे पत्थर उछल कर घरों में आ गिरते है। वहीं भारी भरकम फोकलेन मशीनों से हरे वृक्षों को उखाड़ कर फैंक दिया गया है। खदान में कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा किट नहीं दिए जाते है। और न ही श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका रखी जाती हैं। खनन के दौरान कोई भी हादसा होने पर खान संचालक जिम्मेदारी से भागते हैं।

- **वहीं हेवी ब्लास्टिंग करने से पत्थर उछल कर लोगों के घरों में आ जाते हैं**

ग्रामीणों ने खान सुरक्षा निदेशालय, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली, को भी शिकायत कर अवगत कराया हैं। सॉपस्टोन खदान के कारण पर्यावरण व वन क्षेत्र को होने वाले नुकसान के साथ भूस्खलन की संभावनाएं, पेयजल स्त्रोत सूखने, मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, खनन के दौरान मशीनों से उड़ने वाली धूल के नुकसान को लेकर एनजीटी भी गंभीर नहीं है।

इस मामले में खनिज विभाग और वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया। लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया।

उधर खदान संचालक ने बताया कि खदान की निर्धारित सीमा में ही नियमानुसार खनन कार्य किया जा रहा हैं। ग्रामीणों को कोई परेशानी है तो समाधान किया जाएगा।

अभयपुरा गांव के पास सोपस्टोन की खदान से सटी वन भूमि के पहाड़ में अवैध खनन किया जा रहा है।